

R-1390. 1704 (बनाम)

201



न्यायालय माननीय बार्ड आफ रेज्यन्स्य, ग्वा तियर

उमाशंकर आत्मज रामोपाल दिवेदी

सेवा निवृत्त प्रधान अध्यापक, बार्ड नं-5

अजयगढ़ तह. अजयगढ़, जिला पन्ना [म.प्र.] आवेदक

R 1390-II/2004

दिनांक 14-10-04 को
को का. नं. की तिकरी
का. नं. का. नं. का. नं.
हैय प्र. उ. नं. 1

// बनाम //

1. मोला प्रसाद खरे तनय प्यारेलाल खरे
सेवा निवृत्त शिक्षक बार्ड नं-5 अजयगढ़,
तह. अजयगढ़ जिला पन्ना [म.प्र.]

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पंचायत अजयगढ़ जिला पन्ना

3. मध्य प्रदेश शासन अनावेदकगण

निरारानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है -

1:-

यहकि आवेदक उक्त निरारानी आदेशा श्रीमान्
अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक-
151बी/121/2002/2008, आदेशा दिनांक 09.09.2004 से
पीडित होकर कर रहा है।

2:-

यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक की अपील
सिर्फ इस बिन्दु पर ही निरस्त कर दी है कि अतिक्रमण के प्रकरण
में अपीलार्थी [आवेदक] को अपील करने का अधिकार निहित
नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने सम्पूर्ण रूप से प्रकरण का
अध्ययन नहीं किया है। प्रकरण का मुख्यतः ध्य यह है कि आवेदक
के आवेदन पर ही उक्त प्रकरण कायम किया गया था कारण कि

B. SPL

27/6

27.6.16.

आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी

आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी
आदिवासी का आदिवासी

मन्दीर
आदिवासी

जेलर
१

१३९५